

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का झाडली

किरम मुकदमा:- प्रा० पत्र प्रचलित रास्ता अधा 131, 132 एल.आर.एक्ट मुकदमा नम्बर-81/2024


तारीख हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुक्म
हुक्म की लागू
में जारी हुय

23.09.2024


तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 1975/भू.अ./2024 दिनांक 04.09.2024 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का झाडली के कृषि भूमि खसरा नम्बर 742, 741, 737, 736, 596, 595, 594/1, 594/2, 592, 591, 586, 585, 374, 375, 370, 368, 365 में से जा रहे ग्राम रूपपुरा झाडली की सीमा के सहारे-सहारे ढाणी गूर्जरां की, बैडावाली ढाणी, टाटला की ढाणी, ढाबडा से ग्राम रूपपुरा उदलवास जाने वाले प्रचलित रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, सहमति पत्र (संबंधित कुछ खातेदारान्) है। जिसे तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया हैं। विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार को होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (गुप-6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावें व संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। रास्ते के मौके पर कदीमी रूप से चालू होने तथा प्रस्तावित रास्ते मौके पर कच्चा होकर रास्ते के सार्वजनिक आवागमन के उपयोग में आने से एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अनुशंषा के मध्यनजर प्रार्थना पत्र न्यायहित में  किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।


उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जज हस्ताक्षर मय लघु कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे न्यायालय निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।


(अनिल कुमार)
सुपरव्हाइजर अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठाधीन अधिकारी - अनिल कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या:- 81 / 2024

निर्णय दिनांक: 23.09.2024

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगाधोपुर के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा
131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम- 1956

आदेश

तहसीलदार श्रीगाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 1975/भूअ./2024
दिनांक 04.09.2024 के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय
दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, फर्द मौका जांच रिपोर्ट जिसमें
सातेदारान में से कुछ खातेदारान के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर अंकित करवाये गए हैं, ग्राम
पंचायत करडका का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को
प्रेषित किया है। श्रीमान् रांयुक्त शासन राचिव, राजस्व (गुप-6) जयपुर राजस्थान सरकार का
परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं तहसीलदार
श्रीगाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावें व संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन
किया गया। तहसील श्रीगाधोपुर के राजस्व ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हत्का करडका के
कृषि भूमि खसरा नम्बर 742, 741, 740, 737, 736, 596, 595, 594/1, 594/2, 592, 591,
586, 585, 374, 375, 370, 368, 365 में से जा रहे ग्राम रूपपुरा झाडली की सीमा के
सहारे-सहारे ढाणी गुर्जरों की, वैडावाली ढाणी, टाटला की ढाणी ढावडा से ग्राम रूपपुरा



3e
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगाधोपुर (नीमकाथाना)

(2)

उदलवास जाने वाले प्रचलित रास्ते मौक पर कदीमी रूप से यात्रु हाकर सार्वजनिक रूप से काम में आने प्रस्तावित रास्ते ग्राम रूपपुरा आड़ती सारारे सहारे ढाणी गुजंरो की, वैडावाली ढाणी, टाटला की ढाणी ढावडा से ग्राम उदलवास जाने वाले में मौके पर रास्ता कच्चा होकर मौक पर रास्त के सार्वजनिक आवागमन के उपयोग में आना बताया गया है। साथ ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त रास्त को राजस्व रिकार्ड में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंघा रिपोर्ट भी पेश की है।

इस प्रकार यह विविध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 57 के तहत स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाए गए प्रस्ताव में अंकित खसरा नम्बरान में से रास्ते के काम आ रहे रकब को निम्नानुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

क.स.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	रकबा जो रास्ते में काम आ रहा है।
1	करडका	रूपपुरा उदलवास			
2	करडका	रूपपुरा उदलवास	742	0.65	0.0120
3	करडका	रूपपुरा उदलवास	741	0.82	0.0170
4	करडका	रूपपुरा उदलवास	740	0.93	0.0170
5	करडका	रूपपुरा उदलवास	737	3.57	0.0280
6	करडका	रूपपुरा उदलवास	734	3.11	0.0300
7	करडका	रूपपुरा उदलवास	596	3.73	0.0560
8	करडका	रूपपुरा उदलवास	595	1.96	0.0300
9	करडका	रूपपुरा उदलवास	594/1	2.64	0.0170
10	करडका	रूपपुरा उदलवास	594/2	2.64	0.0170
11	करडका	रूपपुरा उदलवास	592	4.47	0.0284
12	करडका	रूपपुरा उदलवास	591	2.94	0.0236
13	करडका	रूपपुरा उदलवास	586	3.50	0.0216
14	करडका	रूपपुरा उदलवास	585	8.13	0.0180
			374	5.30	0.0600



उपखण्ड अधिकारी
 श्रीमाधोपुर

(3)

करडका	रूपपुरा उदलवारा	375	072	0.0100
करडका	रूपपुरा उदलवारा	370	253	0.0230
करडका	रूपपुरा उदलवारा	368	308	0.03330
करडका	रूपपुरा उदलवारा	365	320	0.0500

तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्त मौके पर चालू रास्ते का अकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित रॉलंगन नक्शा ट्रेस में अंकित / दर्ज खातेदारी भूमियों में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही दर्ज राजस्व रिकार्ड रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का भाग रहेंगे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर एक माह में पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

(Handwritten Signature)

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)



यह आदेश आज दिनांक 23.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं

न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(Handwritten Signature)

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)